न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार
कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सू.का.अधि. अपील प्र.क्र.55 / 2017–18

श्री के.एम.बाबू आर.टी.आई कार्यकर्ता प्रधान संपादक /प्रदेश अध्यक्ष शासकीय महाविद्यालय के सामने कोसाबाड़ी कोरबा (छ.ग.) .... अपीलार्थी

बनाम

जन सूचना अधिकारी, जिला पंचायत
जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ....उत्तरवादी

आदेश
(आज दिनांक 02.08.2018 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी श्री के.एम.बाबू आर.टी.आई कार्यकर्ता प्रधान संपादक/प्रदेश अध्यक्ष शासकीय महाविद्यालय के सामने कोसाबाड़ी कोरबा (छ.ग.) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रारंभ किया गया।

अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 16.04.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत डाक के माध्यम से जिला पंचायत कार्यालय जिला जांजगीर–चांपा के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपद पंचायत एवं सभी ग्राम पंचायत के जन सूचना अधिकारी का नाम, स्थान का नाम, पोस्ट आफिस का नाम, एवं मोबाइल नंबर का सूची छायाप्रति प्रमाणित सहित जानकारी मांगी गई थी। नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत अपील आवेदन के संबंध में जन सूचना अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर –चांपा (छ.ग.) को ज्ञापन क्रमांक 10234/अपील/सू.का.अ./2018/जांजगीर, दिनांक 02.07.2018 को पत्र प्रेषित कर जानकारी/जबाव मांगी गई एवं अपीलार्थी को पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 10235/अपील/सू.का.अ./2018 जांजगीर, दिनांक 02.06.2018 के द्वारा सुनवाई तिथि 19.07.2018 को उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई।

जन सूचना अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा के द्वारा प्रेषित ज्ञापन कमांक 8583/सू.का.अधि./जि.पं./2018 जांजगीर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र कमांक 5596/सू.क.अ./जि.पं./2018 जांजगीर, दिनांक 21.04.2018 के द्वारा चाही गई जानकारी के लिये संबंधित जन सूचना अधिकारियों से आवेदन कर जानकारी प्राप्त कर सकते है की सूचना दी गई है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 16.04.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत डाक के माध्यम से जिला पंचायत कार्यालय जिला जांजगीर–चांपा के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपद पंचायत एवं सभी ग्राम पंचायत के जन सूचना अधिकारी का नाम, स्थान का नाम, पोस्ट आफिस का नाम, एवं मोबाइल नंबर का सूची छायाप्रति प्रमाणित सहित जानकारी मांगी गई थी। नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा के ज्ञापन कमांक 8583/सू.का.अ./जि.पं./2018 जांजगीर, दिनांक 06.07.2018 को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी कार्यालयीन पत्र कमांक 5596/सू.क.

अ./जि.पं./2018 जांजगीर, दिनांक 21.04.2018 के द्वारा चाही गई जानकारी के लिए संबंधित जन सूचना अधिकारियों से आवेदन कर जानकारी प्राप्त कर सकते है कि सूचना अपीलार्थी को संबोधित किया गया है। सूचना होने के बाद भी अपीलार्थी द्वारा संबंधित जन सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत न कर अपील प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का अपील आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

2.8.18

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

(६०)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार कार्यालय
कलेक्टर जांजगीर–चांपा,छ.ग.

पृ.क्र./ 12432 /अपील/सू.का.अधि/2018 जांजगीर, दिनांक 02 / 8 /2018

प्रतिलिपि :–

1. जन सूचना अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा की ओर आदेश की प्रति अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
3. श्री के.एम.बाबू आर.टी.आई कार्यकर्ता प्रधान संपादक/प्रदेश अध्यक्ष शासकीय महाविद्यालय के सामने कोसाबाड़ी कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)